न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या –03, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–533/2026

CNR No-UPGD040016102026

अबु हंजला उर्फ सादिक पुत्र सरफराज अंसारी निवासी ग्राम–पटइला, थाना–खुटहन, जनपद–जौनपुर।

––––अभियुक्त।

बनाम

सरकार––––––––––––––––––––––––––––– **अभियोजन पक्ष।**

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–483 बी.एन.एस.एस, अपराध सं०–09/2025, धाराः 3/5ए /8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना–करनैलगंज, जनपद–गोण्डा।

दिनांक–16.03.2026

जमानत प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अभियुक्त **अबु हंजला उर्फ सादिक** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त अबु हंजला उर्फ सादिक की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि– प्रार्थी बिल्कुल बेगुनाह है, महज हैरान व परेशान करने के लिए उपरोक्त मुकदमें में अभियुक्त बनाया गया है। उक्त मुकदमें में दर्शायी गयी घटना झूंठी व मनगढंत है आपस में सलाह मशविरा करके अति विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। मुकदमें में नामित अन्य सह अभियुक्त से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और प्रार्थी न कथित घटनास्थल पर पकड़ा गया है और न ही प्रार्थी के पास से कोई बरामदगी ही हुई है। कथित फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, समस्त साक्षीगण पुलिसकर्मी ही है। प्रार्थी द्वारा न तो गोवध किया गया है और न ही पशु क्रूरता ही की गयी है न ही प्रार्थी का कोई वाहन मौके से बरामद ही हुआ है। प्रार्थी दिनांक–31.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी के विरूद्ध गोवध करने अथवा गौमांस की बिक्री करने सम्बन्धी कोई साक्ष्य नहीं है न ही प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में कोई गोवध निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सहअभियुक्त की जमानत न्यायालय श्रीमान् जी के यहां से स्वीकार हो चुकी है। अतः प्रार्थी को ता० फैसला मुकदमा उचित मुचलके व जमानत पर रिहा करने की कृपा की जावे।

अभियोजन/विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा आपत्ति की गई है और कथन किया है कि अभियुक्त की अपराध में सक्रिय भूमिक है। अपराध की गम्भीरता व अभियुक्त के आचरण के आधार पर जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by RAJESH KUMAR
Date: 2026.03.17 16:40:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त नहीं है। अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने ट्रक पर 19 गोवंशी पशुओं को लादकर वध हेतु ले जाया जा रहा था। अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं है और न ही अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुआ है। थाने से अभियुक्त के विरूद्ध, जो आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है वह दोषसिद्ध मुकदमों का नहीं है। अभियुक्त दिनांक–31.01.2026 से जेल में निरूद्ध है। सह अभियुक्त विशाल मंजेश चमार, तालिब अंसारी की जमानत न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03 गोण्डा द्वारा दिनांक–02.06.2025, 08.12.2025 व दिनांक–22.01.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामलें के बिना गुण–दोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है, तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **अबु हंजला उर्फ सादिक** का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–533/2026 मुकदमा अपराध संख्या–09/2025, अन्तर्गत धारा–3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, थाना–करनैलगंज, जिला–गोण्डा स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रूपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, दाखिल करने पर जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाये–

01– अभियुक्त न्यायालय में प्रत्येक तिथि पर उपस्थित होता रहेगा और अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमित के अपने दिये हुए स्थान व पते को छोड़कर बाहर नहीं जायेगा।

02– अभियुक्त द्वारा न्यायालय में विचाराधीन वाद में साक्ष्य के दौरान पूर्ण सहयोग करेगा।

03– अभियुक्त दौरान वाद विचारण गवाहों पर दबाव नहीं बनायेगा और न ही किसी गवाह का उत्पीड़न करेगा।

04– न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर आरोप व बयान धारा–313 दं०प्र०सं० हेतु न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

05– अभियुक्त द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करेगा कि यदि अभियुक्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन करेगा तो जमानत आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(राजेश कुमार–III)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–03 गोण्डा।

दिनांक–16.03.2026